मै0 महेश सिंह भौरियाल एवं श्री सुन्दर सिंह, ग्राम रामणी, तहसील घाट, जनपद चमोली में सोपस्टोन के खनन के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 02.12.2024 समय 11.00 बजे, स्थल ग्राम–रामनी, तहसील घाट जनपद चमोली का कार्यवृत्त।

मै0 महेश सिंह भौरियाल एवं श्री सुन्दर सिंह, ग्राम रामणी, तहसील घाट, जनपद चमोली में सोप स्टोन के खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया (दिल्ली संस्करण) व अमर उजाला (उत्तराखण्ड संस्करण) में दिनांक 30.10.2024 के अंक में प्रकाशित की गयी थी। **(संलग्नक–1)**

जिलाधिकारी महोदय, चमोली द्वारा नामित श्री विवेक प्रकाश, अपर जिला अधिकारी, चमोली की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2024 को प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई आयोजित की गयी। लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नकानुसार रही। **(संलग्नक–2)** इस अनुक्रम में परियोजना प्रस्तावक की पर्यावरण परामर्शदत्ता संस्था मै0 कॉग्निजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा के द्वारा बनायी गई ई0आई0ए0 रिपोर्ट पर परियोजना के प्रतिनिधि श्री वाजपेयी द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, जिसका सांरांश निम्नानुसार है–

1. प्रस्तावित परियोजना स्थल ग्राम रामनी, तहसील घाट, जिला चमोली स्थल के भौगोलिक निर्देशांक 30^0 18'26.86"N से $30^0$18'25.36"N उत्तर, देशान्तर 79^0 30'22.62"E से $79^0$30'18.73"E पूर्व है।

2. मै0 महेश सिंह भौरियाल एवं श्री सुन्दर सिंह, के पक्ष में उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पत्र संख्या–1410 / VII-A-1/2021/01(31)/2021 दिनांक 06 अक्टूबर, 2021 द्वारा सोपस्टोन हेतु 50 वर्ष का आशय पत्र स्वीकृत किया गया।

3. प्रस्तावित परियोजना का क्षेत्रफल 11.675 है0 है, जिसमें अनुमोदित खनन योजना के अनुसार प्रथम वर्ष में 8,989 टन, द्वितीय वर्ष में 10,345 टन, तृतीय वर्ष में 11,699 टन, चतुर्थ वर्ष में 13,145 टन व पंचम वर्ष में 14,480 टन अनुमानित मात्रा में उत्पादन किया जाना है। अधिकतम 14,480 टन प्रतिवर्ष सोप स्टोन उत्पादन का लक्ष्य है। परियोजना की कुल लागत रू0 90 लाख प्रस्तावित है।

4. प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त परियोजना पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–2006 यथा संशोधित के

अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक है, जिस सम्बन्ध में SEIAA द्वारा ToR, 14 अगस्त, 2023 को जारी किया गया।

5. प्रस्तावित परियोजना में कुल जल खपत 29.35 के0एल0डी0 पीने तथा धूल नियंत्रण व वृक्षारोपण हेतु किया जायेगा। प्रस्तावित परियोजना से लगभग 60 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है।

6. प्रस्ताव में बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना के 10 किमी0 त्रिज्या में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी/वन्य जीव गलियारा नहीं है। नजदीकी नदी नन्दाकनी 1.87 किमी0 SSE Direction है।

7. प्रस्तावित खदान का माइनिंग प्लान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उत्तराखण्ड के द्वारा स्वीकृत किया गया है। माइन्स में कार्य करने हेतु ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड की पद्धति से कार्य किया जायेगा। 800 मीटर लम्बी व 6.0 मीटर चौड़ी होल का निर्माण किया जायेगा। उपरी सतह से निकाली मिट्टी को डंप यार्ड में रखा जायेगा। खदान में विस्फोटकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। प्रस्तावित खदान में बेस लाइन डाटा का कार्य मानसून पूर्व काल में किया जायेगा।

8. प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 12 मीटर गहराई तक खनन किया जायेगा। खनन कार्य के उपरान्त उक्त भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा और खनन कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा खनन कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। संस्था कॉग्निजेंस रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना हेतु अलग से बजट के मद में रू0 6.20 लाख का व सामाजिक सांस्कृति और स्वास्थ्य की मद में रू0 4.50 लाख प्राविधान किया गया है जिसका उपयोग रास्तों की मरम्मत एवं वृक्षारोपण, पेयजल, स्वास्थ्य आदि कार्यों में किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के सम्बन्ध सभा में जन समुदाय को उनके सुझाव एवं आपत्तियां लिखित एवं मौखिक रूप से आमन्त्रित किये जाने हेतु कहा गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री रणवीर सिंह नेगी, अध्यापक, जूनियर हाईस्कूल, रामणी** द्वारा खनन प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी है और कहा गया स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये, साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि विद्यालय में प्रोजेक्टर की व्यवस्था की जाये जिससे कि स्थानीय विद्यार्थियों को लाभ हो।

2. **श्री राजेन्द्र सिंह नेगी निवासी ग्राम रामणी** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये तथा परियोजना में क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु अलग से मद रखा जाये व खनन कार्य से ग्रामीण सड़कों को क्षति न पहुंचे। वायु प्रदूषण और घोड़े–खच्चरों से होने वाले यातायात पर नियंत्रण रखा जाये।

3. **श्री रमेश सिंह नेगी, निवासी ग्राम रामणी** द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये व घोड़े–खच्चरों से होने वाले यातायात पर नियंत्रण रखा जाये तथा खनन से जनित कच्चे माल के परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्गो की व्यवस्था की जाये, जिससे ग्रामीण सड़के क्षतिग्रस्त न हों व वाहनों की आवाजाही से उत्पन्न धूल की समस्या का समाधान किया जाये साथ ही साथ स्थानीय जल स्रोतों को भी सुरक्षित रखा जाये।

4. **श्रीमती कांता देवी, ग्राम रामणी** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य से ग्रामीणों के आवासों को खतरा नहीं होना चाहिये तथा खनन कार्य से पानी की समस्या भी उत्पन्न नहीं होनी चाहिये साथ ही साथ क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत में भी खनन स्वामियों द्वारा सहयोग किया जाये। परियोजना प्रबंधक द्वारा कहा गया कि पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा एवं भूमि कटान को रोकने हेतु वृक्षारोपण किया जायेगा।

5. **श्री विक्रम सिंह पंवार, निवासी ग्राम रामणी** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य से पैदल मार्गों को हानि पहुॅचती है। नयी खनन परियोजना शुरू होने से पूर्व पैदल मार्गों को ठीक कराया जाये। खनन कार्यों से कृषि भूमि को हानि पहुॅचती है जिस हेतु खनन कार्य को इस प्रकार से किया जाये कि कृषि भूमि को हानि न पहुॅचे। इस पर परियोजना प्रबन्धक द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खदान में सीईआर में अलग से बजट का प्राविधान रखा गया

6. **श्रीमती रूपा देवी, निवासी ग्राम रामणी** द्वारा कहा गया कि खनन कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों के रखरखाव के साथ–साथ खनन क्षेत्र से बाहर अन्य ग्रामीण सड़को का भी नियमित रूप से रखरखाव एवं निर्माण कार्य किया जाये। खनन से प्राकृतिक जल स्रोतों को नुकसान न पहुॅचे।

7. **श्री दिनेश, निवासी ग्राम रामणी** द्वारा कहा गया कि परियोजना प्रबंधक खेल मैदान के निर्माण में सहयोग करें।

8. **श्री उज्जवल सिंह नेगी, निवासी ग्राम रामणी** द्वारा कहा गया कि खनन क्षेत्र में धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण के समाधान हेतु सुनियोजित योजना लागू की जानी चाहिये। पक्के मार्गों का निर्माण खनन क्षेत्र तक पहुॅचने के लिए किया जाये। पूर्व में खनन स्वामियों द्वारा कि गयी पर्यावरणीय पहलुओं की अनदेखी की पुनरावृत्ति न की जाये। खनन कार्य इस प्रकार से किया जाये जिससे कि कृषि भूमि को हानि न पहुॅचे।

9. **श्री महेश सिंह भौरियाल, परियोजना प्रबंधक** द्वारा अंत में कहा गया कि ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में सहायता की जायेगी तथा खनन मार्गों पर जल छिडकाव का कार्य नियमित रूप से किया जायेगा।

तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा जन सामान्य को पुनः अपनी बात लिखित व मौखिक रूप से रखने को कहा गया, जिस पर स्थानीय जनता द्वारा मौखिक रूप से अपने विचार रखे गये। उपरोक्त जन समुदाय की आपत्तियों एवं सुझावों को कार्यवृत्त में सम्मिलित किया गया तथा जन सुनवाई की फोटाग्राफी एवं वीडियो रिर्काडिंग करायी गयी।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के द्वारा कहां गया कि खदान संचालकों को नियमों का अनुपालन न करने पर ग्रामवासियों के द्वारा सक्षम स्तर पर शिकायत की जा सकती है, तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय के द्वारा धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

संलग्नक–

1. फोटो– 03 प्रतियां
2. डी0वीडी0– 03 प्रतियां
3. उपस्थिति पंजिका– 03 प्रतियां

(एस.एस. चौहान)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

(विवेक प्रकाश)
अपर जिलाधिकारी
चमोली

Date. ____________
Page No. ____________

आज दिनांक 31/1/2024 को श्री महेश भौरीयाल एवं श्री कुन्दनसिंह ग्राम रामणी तहसील घाट जिला चमोली में सोप स्टोन माइन की जन सुनवाई हेतु उपस्थिति का विवरण

क्रम सं०	नाम	मो०नं०/पता	हस्ताक्षर
1	विवेक प्रकाश ADM Chamoli	9411107772	[signature]
2	एस० एन० चौहान ASO UKPCB	9719034547	[signature]
3	हरीश भण्डारी रा० उ० वि०	घाट	[signature]
4	कादम्बरी प्रसाद सी.ई.डी.	6395789501	[signature]
5	महादीप सिंह	8791252627	[signature]
	राजेन्द्र सिंह	राजकुमार सिंह	
	कालूराम	रामणी	
	पूरण लाल	रामणी	
	कुलानसिंह	रामणी	
	रतनसिंह	रामणी	
	भरतसिंह	रामणी	
	[illegible]	रामणी	
	राजेन्द्र सिंह	रामणी	
	भागवत सिंह	रामणी	
	प्रदीप सिंह बिष्ट	रामणी	
	Karan Singh.	रामणी	
	[illegible]	रामणी	
	Dinesh Singh	Ramni	
	[illegible] Negi	Ramani	
	मदनलाल	राम लाल शाह	
	मकर सिंह	रामणी पदमसिंह	